भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 22B/2017-18

1.बिजय महतो2. शशधर महतो 3. राजो देवी **बनाम** श्याम महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
09.10.17	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 1500 दिनांक 01.07.17 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 22 B/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1.विजय महतो 2. शशधर महतो दोनों के पिता स्व0 मागाराम महतो 3. राजो देवी पति-स्व0 सनातन महतो ग्राम-छोटा गम्हरिया, थाना-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता श्याम महतो पिता स्व0 पुरूषोत्तम महतो, ग्राम-सीनी, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
छोटागम्हरिया	67	102	785 गोड़ा तीन नई परती	0.01.79ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता नं0-1 एवं 2 के पिता एवं विक्रेता नं0-3 के ससुर भागाराम महतो के नाम से खतियान एवं पंजी-II में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। आवेदिकों के हिस्से में 3.41.85 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.01.79 ए0 भूमि बिकी करने के पश्चात् 3.40.06 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.01.79 ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।